अनुबंध - वचनपत्र का फार्मेट

प्रति
मुख्य महाप्रबंधक
आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय
केंद्रीय कार्यालय भवन
मुंबई-400 001

द्वारा
_____
पंजीकृत कार्यालय _____
_____
_____

जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसरण में सरकारी प्रतिभूतियों में प्राथमिक व्यापारी गतिविधियों का दायित्व लेने की तत्वतः अनुमति का प्रस्ताव किया है ।

और जहाँ प्राथमिक व्यापारी की गतिविधि का दायित्व लेने के लिए हमारे प्राधिकृत होने की पूर्वशर्त के रूप में, हमारे लिए संबंधित शर्तों को शामिल करते हुए एक वचनपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

और जहाँ दिनांक _____ को विधिवत संपन्न _____ निदेशक मंडल की बैठक में मंडल ने श्री/श्रीमती/कुमारी _____ और श्री/श्रीमती/कुमारी _____ को जुलाई _____ से जून _____ तक की अवधि के लिए एक वचनपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को संयुक्त रूप से अथवा अलग-अलग रूप से नीचे दिये अनुसार निष्पादित और प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया है :

अतः अब भारतीय रिज़र्व बैंक अपने विचारानुसार प्राथमिक व्यापारी गतिविधि का दायित्व लेने के लिए हमें अनुमति देने हेतु सहमत होने पर हम एतदद्वारा वचन देते हैं और निम्नलिखित के लिए सहमति व्यक्त करते है :

1. प्रत्येक वर्ष (अप्रैल-मार्च) में निर्णय लिये गये अनुसार नीलामी खज़ाना बिलों/नकदी प्रबंध बिलों के प्रत्येक निर्गम के विशिष्ट प्रतिशत की सीमा तक नकदी प्रबंध बिलों (सीएमबी) सहित खज़ाना बिलों (टीबी) की नीलामी में सामूहिक रूप से बोली लगाने के लिए वचनबद्ध रहना और भारत सरकार की

दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए हामींदारी वचनबद्धता के समान न्यूनतम राशि (न्यूनतम हामींदारी वचनबद्धता और अतिरिक्त प्रतिस्पर्द्धात्मक हामींदारी के अंतर्गत आबंटित) के लिए बोली लगाना और अन्य संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए खजाना बिलों और नकदी प्रबंध बिलों के लिए 40 प्रतिशत से कम नहीं अथवा ऐसे अन्य प्रतिशत जो भारिबैं द्वारा अधिसूचित किये गये हों, पर सामूहिक विजेता बोलियों में सफल अनुपात बनाये रखना ।

2. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियाँ, खजाना बिल, नकदी प्रबंध बिल, राज्य सरकारी की प्रतिभूतियाँ, जिनके लिए नीलामी आयोजित की जाती है, के प्राथमिक निर्गमों के लिए हामींदारी का प्रस्ताव करना और बोली लगाने/हामींदारी के लिए प्रचलित योजना के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई राशि का न्यागमन यदि कोई हो तो स्वीकार करना ।

3. (क) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यदि इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किये गये हों तो निवल स्वामित्ववाली निधियों के गुणज के रूप में रिपो सहित मुद्रा बाज़ार से उधारों पर निर्भर होने के लिए, कंपनी के निदेशक मंडल के पूर्वानुमोदन के साथ विवेकपूर्ण उच्चतम सीमा निर्धारित करना । (केवल एकल प्राथमिक व्यापारियों को लागू)

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यदि इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किये गये हों तो बैंक के बोर्ड के पूर्वानुमोदन के साथ विवेकपूर्ण उच्चतम सीमा का पालन करना । (केवल बैंक प्राथमिक व्यापारियों को लागू)

4. एनडीएस/एनडीएस-ओम के माध्यम से ओवर द काउंटर टेलीफोन मार्केट/भारत के अधिकृत स्टॉक एक्स्चेंज के माध्यम से निश्चित दो तरफा भाव प्रस्तावित करना और भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में और समय-समय पर बदलती परिपक्वतावाले खज़ाना बिल में गौण बाज़ार में व्यापार करना और मुख्य स्थान हासिल करना ।

5. सरकारी प्रतिभूतियों में पर्याप्त पोर्टफोलियो प्राप्त करना और सरकारी प्रतिभूति मार्केट में सक्रिय रूप से व्यापार करना ।

6. सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों में 5 बार से कम नहीं और माह के अंत में स्टॉक *(बही में प्राथमिक व्यापारी कारोबार के लिए अलग से रखरखाव किया गया)* के औसत के खजाना बिल/नकदी प्रबंध बिल के 10 बार से कम नहीं का वार्षिक पण्यावर्त प्राप्त करना बशर्ते कि आउटराइट का पण्यावर्त सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों में 3 बार से कम नहीं और खजाना बिल/नकदी प्रबंध बिल में 6 बार

से कम नही अथवा समय-समय पर भारिबैं द्वारा अधिसूचित किये गये अनुसार हो ।

7. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पूँजी पर्याप्तता मानदंड का रखरखाव और बशर्ते कि समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सभी विवेकपूर्ण और विनियामक दिशानिर्देशों का हमारी ओर से पालन किया जाना ।

8. प्राथमिक मामलों में प्रभावी सहभागिता, गौण बाज़ार में व्यापार और निवेशकों को सूचना और शिक्षा प्रदान करने के लिए भौतिक उपकरण और निपुण मानवशक्ति के अनुसार पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं का रखरखाव करना ।

9. दिनांक 31 दिसंबर 1999 के परिपत्र आईडीएमसी.सं.पीडीआरएस.2049-ए/03.64.00/1999-2000 द्वारा जारी "प्राथमिक व्यापारियों द्वारा अनुपालन किये जानेवाले प्रतिभूतियों के लेनदेन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त" और समय-समय पर जारी मास्टर परिपत्रों का पालन करना और कारोबार के उचित संचालन और व्यापार के निपटान और खातों के रखरखाव के लिए आवश्यक आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ लागू करना ।

10. सभी लागू अपेक्षाओं और व्यवस्थाओं का अनुपालन करना जब सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार हो और भारतीय रिज़र्व बैंक की शर्तें जो किसी भी दिये गये समय में लागू हों और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी लेनदेन हाथ में लेने से पहले भारिबैं और सेबी की सभी अपेक्षाएँ, जो भी लागू हों और जो भी इस तरफ से समय-समय पर निर्धारित की गई हों, का अनुपालन किया गया हो, अन्यथा भारिबैं को प्राथमिक व्यापारी के रूप में प्राधिकरण तुरंत रद्द करने की तथा लेनदेन के लिए अनुमति न देने की स्वतंत्रता होगी ।

11. भारिबैं/सेबी, भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआइ) और भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ (फिमडा) द्वारा निर्धारित आचारसंहिता का पालन करना ।

12. आवश्यक लेखा परीक्षा शृंखला के साथ प्राथमिक व्यापारी कारोबार से संबंधित लेनदेन *(सामान्य बैंकिंग कारोबार से भिन्न)* के लिए अलग खाता बहियों का रखरखाव करना और यह सुनिश्चित करना कि किसी भी समय पर 100 करोड रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों का अथवा प्राथमिक व्यापारी कारोबार के लिए निश्चित किये गये समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित किये गये अनुसार जमाशेष हो (केवल बैंक प्राथमिक व्यापारियों के लिए लागू) ।

13. भारिबैं द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये अनुसार ऐसी जानकारी, रिकार्ड,

बहियाँ, दस्तावेज जो हमारे प्राथमिक व्यापारी के रूप में हमारे कार्य से संबंधित हो, का रखरखाव और अनुरक्षण करना ।

14 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निरीक्षण/जाँच के लिए प्रतिनियुक्त किये गये अधिकारियों को सभी रिकार्ड, बहियाँ, जानकारी और दस्तावेजों को उपलब्ध कराना और सभी आवश्यक सहायता प्रदान करना ताकि भारिबैं सभी रिकार्ड, बहियाँ, जानकारी और दस्तावेजों की जाँच कर सके ।

15. सभी समय सरकारी प्रतिभूतियों में रु.150 करोड़/रु.250 करोड़ के अथवा भारिबैं द्वारा जैसा कि निर्धारित किया गया हो, निवल स्वामित्ववाली एक न्यूनतम निधि रखना और भारिबैं से चलनिधि सहायता, मांग मुद्रा बाज़ार से निवल उधार और केवल सरकारी प्रतिभूतियों में निवल रिपो उधार नियोजित करना ।
(केवल एकल प्राथमिक व्यापारियों के लिए लागू)

16. लेनदेन में समूह और संबंधित इकाइयों के साथ सुरक्षित अंतर का संबंध रखना ।

17. कंपनी के शेयरधारिता नमूने में कोई भी परिवर्तन होने पर भारिबैं से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना (केवल एकल प्राथमिक व्यापारियों के लिए) ।

18. निर्धारित फार्मेट में आवधिक रिपोर्टें, जिसमें दैनिक लेनदेन और बाज़ार सूचना, प्रतिभूतियों में लेनदेन के ब्योरों की मासिक रिपोर्ट, नीलामी में सहभागिता के संबंध में जोखिम की स्थिति और निष्पादन, वार्षिक लेखा परीक्षित खाते और वार्षिक निष्पादन समीक्षा और ऐसे विवरण, प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज तथा जानकारी जो भारिबैं द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये गये हों, को प्रस्तुत करना ।

19. सांविधिक/विनियामक प्राधिकरण उदा. सेबी/भारिबैं, स्टॉक एक्स्चेंज, एनफोर्समेंट डाइरेक्टोरेट, आयकर प्राधिकरण आदि द्वारा हमारे विरूद्ध यदि और जब किसी भी प्रकार की छानबीन/जाँच/निरीक्षण किया जाएगा अथवा यदि प्रतिभूतियों में उक्त गतिविधि/कारोबार चलाने में हमारी सक्षमता में कोई परिवर्तन आएगा तो इस मामले में भारिबैं के आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग को तत्काल सूचित करना और भारिबैं द्वारा दिये गये ऐसे आदेश, अनुदेश, निर्णय अथवा विनिर्णय का पालन करना ।

20. उपर्युक्त वचनों में से किसी के भी अनुपालन न करने के मामले में भारिबैं द्वारा जारी अनुदेशों के उल्लंघन करने के कारण उन्हें पाँच लाख की अथवा जो लागू हो, वह राशि अदा करना ।

21. हम सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार करते समय सभी लागू प्रावधानों और भारिबैं

द्वारा किसी भी समय जारी की गयी शर्तों का अनुपालन करने का वचन देते हैं ।

हम एतदद्वारा पुष्टि करते हैं कि उक्त सभी वचन हम पर और हमारे उत्तराधिकारियों और नियुक्त व्यक्तियों पर बंधनकारी होंगे ।

दिनांक _____ माह की _____ तारीख दो हजार _____

बोर्ड _____ के संकल्प सं. _____)
की शर्तों के अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति होने के कारण)
_____ की उपस्थिति में)
_____ को आयोजित विधिवत)
बैठक में हस्ताक्षरित, मुहर लगाकर और नीचे गये)
नामों के व्यक्तियों द्वारा सुपुर्द किया गया ।)

हस्ताक्षरकर्ता (i) _____

(ii) _____

गवाह (i) _____

(ii) _____

टिप्पणियाँ (1) पैरा 3.क, 15 और 17 केवल एकल प्राधिकृत व्यापारियों के लिए लागू हैं ।

(2) पैरा 3.ख, तथा 6 और 12 में इटालिक में दिये गये शब्द केवल बैंक प्राथमिक व्यापारियों के लिए लागू हैं ।